झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय-(बजट)सत्र
वर्ग-04

21 फाल्गुन, 1936(श0)

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक:---------- को
12 मार्च, 2015 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
उत्तर संलग्न (68)-	अ0सू0-06	श्री विरंची नारायण	दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	कल्याण	01.03.15
उत्तर संलग्न (69)-	अ0सू0-02	श्री बादल	राशन कार्ड उपलब्ध कराना।	खाद्य सार्व0 वि0 एवं उप0 मामले	27.02.15
उत्तर संलग्न (70)-	अ0सू0-16	श्री राज सिन्हा	चिकित्सालय को आधुनिक सुविधा से युक्त कराना।	कल्याण	04.03.15
उत्तर संलग्न (71)-	अ0सू0-04	श्री दीपक बिरूवा	राशि खर्च करना।	कल्याण	28.02.15
उत्तर संलग्न (72)-	अ0सू0-17	श्री प्रदीप यादव	अनियमितता की सी0बी0आई0जाँच।	ऊर्जा	04.03.15
उत्तर संलग्न (73)-	अ0सू0-01	श्री राधाकृष्ण किशोर	कालाबाजारी की रोकथाम हेतु कार्रवाई।	खाद्य सार्व0 वि0 एवं उप0 मामले	24.02.15
उत्तर संलग्न (74)-	अ0सू0-13	श्री बादल	विद्युत आपूर्ति बहाल करना।	ऊर्जा	04.03.15
उत्तर संलग्न (75)-	अ0सू0-03	श्री अशोक कुमार	तार एवं पोल बदलवाना।	ऊर्जा	27.02.15

क्र0पृ0उ0....2

02	03	04	05	06
76)- अ0सू0-14	श्री राज सिन्हा	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	समाज कल्याण	04.03.15

राँची
दिनांक:-12 मार्च,2015ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-प्रश्न -06/2015-.....894...../वि0स0, राँची, दिनांक- 10 मार्च,2015ई0।
प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकू)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-प्रश्न -06/2015-.....894...../वि0स0, राँची, दिनांक- 10 मार्च,2015ई0।
प्रतिलिपि :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा, को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरूचरण सिंकू)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण/

श्री विरंची नारायण, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 06 की उत्तर सामग्री

क्र.	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 06	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में लगभग 250 करोड़ रुपये के अनुदान राशि का प्रावधान किया गया था ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कुल 2[illegible].48 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ अड़तालीस लाख) रू0 भारत सरकार द्वारा आवंटित।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण राज्य को उक्त योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ा ?	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार से विमुक्त राशि के आलोक में योजना कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 07/वि0स0प्र0–02/2015– 679– राँची, दिनांक– 11/03/15

प्रतिलिपि : 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–407 दिनांक –01.03.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.3.15

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

Vidhan Sabha Q+A

(69)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 12.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–2 के उत्तर के संबंध

प्रश्नकर्ता
श्री बादल,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) 1– क्या यह बात सही है कि राज्य के जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को डिजिटाइज्ड राशन कार्ड अबतक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य भर में कुल 54.7 लाख पी०डी०एस० उपभोक्ताओं में से मात्र 6.23 लाख को ही राशन कार्ड दिया जा सका है, जबकि वितरण के लिए जिलों को 15.61 लाख कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं;	राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 18,97,758 राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें से 9,94,437 राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये राशन कार्ड वितरित करने एवं सत्यापित राशन कार्ड पी०डी०एफ० बनाकर अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ताकि त्वरित गति से राशन कार्ड का मुद्रण कराया जा सके।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक सभी पी०डी०एस० उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, और नहीं तो क्यों ?	राशन कार्ड अंकीकरण का कार्य जारी है तथा आगामी चार माह के अन्दर ही सम्पूर्ण लाभुकों को डिजिटाईज्ड राशन कार्ड वितरित किया जाना निर्धारित है

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06–9 (विधान सभा) 02/2015 743 /रांची, दिनांक 10-03-15

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 194, वि०स०, दिनांक 27.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजकुमार चौधरी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

70

श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 12.03.2015 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क0–16 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी आदिम जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए लगभग साढ़े चार सौ विद्यालय संचालित है, जिनमें आवासीय विद्यालय भी शामिल है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन 9 आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय 4 पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय 89 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय 23 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय 2 आश्रम विद्यालय 4 एकलव्य विद्यालय एवं 32 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय, कुल 163 विद्यालय संचालित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि विगत पाँच वित्तीय वर्ष से उक्त विद्यालयों के रख रखाव के लिए आवंटित करोड़ों की राशि बगैर किसी कार्य के सरेंडर किए जाते रहे हैं, जिसके कारण विद्यालयों की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आदिम जनजाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, आश्रम एवं एकलव्य आवासीय विद्यालयों एवं पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालयों के रख रखाव हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभाग द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात राशि आवंटित की जाती है एवं इसका उपयोग भी किया जाता रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशि सरेंडर के लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। राशि की उपलब्धता के अनुसार उक्त विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कराने की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–6/वि0स0–03/15 691 राँची, दिनांक– 11/03/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–790 दिनांक 04.03.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.3.15

(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–04 की उत्तर सामग्री

क्र०	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–04	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदायिक विकास हेतु वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में क्रमशः 69 करोड़ तथा 77 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने संविधान की धारा 275 (1) के तहत् कल्याण विभाग को अनुदान दिया है ?	स्वीकारात्मक। निम्न प्रकार आवंटन प्राप्त हुआ है :– वर्ष — राशि 2011–12 — 6931.00 लाख रूपये 2012–13 — 6995.80 लाख रूपये 2014-16 — 7404.75 लाख रूपये
2.	क्या यह बात सही है कि 2011–12 में निर्गत राशि का डी0सी0 बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र लगा नहीं होने के कारण वर्ष 2014–15 में दी गई केन्द्रीय अनुदान की (राशि) निकासी पर कोषागार पदाधिकारियों ने रोक लगा देने से विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है ?	अस्वीकारात्मक राशि की निकासी कोषागार से कर ली गई है । योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोषागार द्वारा केन्द्रीय अनुदान की राशि पर लगायी गयी रोक पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए विकास हेतु राशि खर्च करने का विचार रखती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विकास हेतु राशि खर्च की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 07/विधसप्र0–04/2015– 676 राँची, दिनांक– 11/03/15

प्रतिलिपि : 200 अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–255 दिनांक –28.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/15

(नुरूल होदा)
सरकार के उप सचिव।

Vidhan Sabha Q.

(72)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-12.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-17 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि 2013 में सिकिदिरी हाईडल पावर का जिर्णोद्धार दो करोड़ रुपये के बदले 22 करोड़ खर्च किये गये;	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2012 (रिकॉर्ड के आधार पर) में बी०एच०ई०एल० के द्वारा सिकिदिरी परियोजना का Capital overhaul (R&M)/ schedule maintenance हेतु निर्गत कार्यादेश की राशि रू0 20.87 करोड़ (कर अतिरिक्त) अंकित हैं।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वित्तीय अनियमितता के आलोक में सीबीआइ ने संलिप्त पदाधिकारियों से पूछताछ की है;	सी०बी०आई० द्वारा उक्त विषय से संबंधित मामले में कुछ पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस पूरे अनियमितता की जांच सीबीआइ से कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त तकनीकी वित्तीय अंकेक्षण प्रतिवेदन (Techno Financial Audit Report) की सी0बी0आई0 द्वारा जाँच जारी है। उक्त विषय पर सी0बी0आई0 से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 524 / दिनांक 11-03-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.15

सरकार के उप सचिव

(73)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 12.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० संख्या–1 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राधा कृष्ण किशोर,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत छत्तरपुर प्रखण्ड के अतिरिक्त बी०पी०एल० कार्डधारियों को वर्ष 2012–13 में दी जाने वाली अनाज की आपूर्ति नहीं की गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा अतिरिक्त बी०पी०एल० योजनान्तर्गत पलामू जिला में माह अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 तक 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का आवंटन किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर के पत्रांक 575/गो०, दिनांक 27.11.2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2012–13 में अतिरिक्त बी०पी०एल० कार्डधारियों को दी जाने वाली अनाज वितरण में घोर अनियमितता बरती गयी है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अनाजों की कालाबाजारी से संबंधित छत्तरपुर थाना में कांड संख्या 154/12 दर्ज करायी गयी है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। श्री चन्द्रशेखर कंठ, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक–सह–गोदाम प्रबंधक, छत्तरपुर, पलामू के विरुद्ध थाना काण्ड संख्या–154/2012, दिनांक 16.12.2012 को खाद्यान्न कालाबाजारी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी की छत्तरपुर प्रखण्ड के अतिरिक्त बी०पी०एल० कार्डधारियों को वर्ष 2012-13 में अप्राप्त अनाजों की आपूर्ति करने तथा सरकारी अनाजों की कालाबाजारी के रोकथाम के लिए कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	खाद्यान्न आपूर्ति करने तथा सरकारी अनाजों की कालाबाजारी के रोक–थाम के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण किया जाता है तथा खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा (i) डोर स्टेप डिलेवरी प्रणाली (ii) निगरानी समितियों का गठन (iii) पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों का प्रत्यायोजन (iv) सम्पूर्ण जन वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण (v) बॅयोमेट्रिक पहचान के आधार पर खाद्यान्नों का वितरण इत्यादि व्यवस्थायें लागू की जा रही है।

ज्ञापांक :– ख०प्र० 06–3 (विधान सभा) 01/2015 345 /राँची, दिनांक 10-03-15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 49, वि०स०, दिनांक 24.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजकुमार चौधरी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

(74)

श्री बादल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-12.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-13 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्ता श्री बादल, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अन्तर्गत जरमुन्डी प्रखण्ड एवं बासुकीनाथ नगर निगम क्षेत्र तथा देवघर जिला अन्तर्गत सारवाँ एवं सोनारायथाड़ी प्रखण्ड के गाँवों में 16 के.भी.ए. एवं 10 के.भी.ए. के 80 ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पिछले 6 माह से विद्युत आपूर्ति बाधित है;	स्वीकारात्मक है। दुमका जिला अन्तर्गत जरमुण्डी प्रखण्ड एव बासुकीनाथ नगर निगम क्षेत्र में 10 के0वी0ए0 एवं 16 के0वी0ए0 के कुल 248 अदद् ट्रांसफार्मर जले/ क्षतिग्रस्त थे, जिनमें से 149 अदद् को 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से बदला जा चुका है एवं शेष 99 अदद् को बदला जाना शेष है। देवघर जिला के सारवाँ एवं सोनारायथाड़ी में 30 अदद् 10 के0वी0ए0, 10 अदद् 16 के0वी0ए0 एवं 04 अदद् 25 के0वी0ए0 कुल 44 अदद् का बदलना शेष रह गया है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमका जिला अन्तर्गत जरमुन्डी प्रखण्ड एवं बासुकीनाथ नगर निगम क्षेत्र तथा देवघर जिला अन्तर्गत सारवाँ एवं सोनारायथाड़ी प्रखण्ड के गाँवों में 25 के.भी.ए. का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर गाँवों में विद्युत आपूर्ति बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उक्त सभी जले/ खराब ट्रांस्फार्मरों को 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से बदलने का कार्य उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में 25 के0भी0ए0 ट्रांसफार्मर दुमका/ देवघर/ साहेबगंज केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध नहीं है। निगम स्तर पर ट्रांसफार्मर क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। तीन माह में नया ट्रांसफार्मर क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर प्राप्त कर ली जाएगी। तत्पश्चात् अगले एक माह में उक्त सभी क्षेत्रों को 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 521 / दिनांक 11-03-15

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.15

सरकार के उप सचिव

(75)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–12.03.2015 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-03 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा विद्युत सबस्टेशन से 11000kV का हाईटेंशन तार महागामा बाजार के घनी आबादी के सैकड़ों मकानों के ऊपर से गुजरकर हनवारा फीडर की ओर जाता है?	स्वीकारात्मक है। कई वर्ष पूर्व जब महागामा बाजार के उस क्षेत्र में आबादी नहीं थी तब उस क्षेत्र से 11 के०वी० लाईन खींची गयी थी। बाद के दिनों में हाईटेंशन तार के नीचे घनी आबादी बस गयी है।
2. क्या यह बात सही है कि 11000kVके हाईटेंशन तार के नीचे रहने वाली आबादी हमेशा खतरों से घीरी रहती है, जिससे उनके जान–माल का खतरा बना रहता है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। तत्काल सुरक्षात्मक उपाय के अन्तर्गत जान–माल की सुरक्षा हेतु Guard wire लगाने की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार घनी आबादी से 11000 kV का हाईटेंशन तार हटाते हुए ए०पी०सी०आर०पी० स्कीम के तहत् महागामा बाजार का तार एवं पोल बदलवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	घनी आबादी से 11 के०वी० हाई टेंशन तार हटाने हेतु वैकल्पिक स्थान खोजने की कार्रवाई की जा रही है; जिसके पश्चात् वार्षिक विकास योजनान्तर्गत (ADP) वित्तीय वर्ष 2015–16 तक यह कार्य कर लिये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 497 / दिनांक 16-03-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.15

सरकार के उप सचिव

(76)

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न सं०–14 का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत् संचालित पोषाहार के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2006 को एक आदेश पारित किया था, जिसके आलोक में पोषाहार के कार्यक्रमों में संवेदकों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए;	नकारात्मक। शगुन महिला उद्योगिक संस्थान नवादा बनाम महाराष्ट्र राज्य के संबंध में दिनांक 19.08.11 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्रांक– 13-1/2008-CD.I(Part-II) दिनांक 9.05.2012 को निर्गत दिशा–निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि Take Home Ration के रूप में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भारत सरकार के पत्रांक – S-9/2005/ND/Tech (Vol.II) दिनांक 24.02.2009 में निर्धारित Revised Nutritional and Feeding Norms के अनुसार Ready To Eat Micronutrient Fortified Food/Energy Dense Food की आपूर्ति की जाएगी। पत्र में वर्णित है कि - "It is hereby clarified that bonafide manufacturer, who fulfils the norms and standard laid down in the policy of the government of India dated 24.02.2009 and direction issued by the Hon'ble Supreme Court on 19.08.2011 can also be considered for the supply of micro nutrient fortified food. Reiterating the Supreme Court Orders on this issue, it is advisable that the state Governments/Union Territories should get the Nutritious Food prepared/manufactured by only competent and capable groups or entities, who comply with the stipulations as laid down under the Revised Norms, irrespective of whether these are self Help Groups, Mahila Mandals, Village Community or a Manufacturer and strictly adherence to." अतः Bonafide Manufacturers के माध्यम से भी योजना संचालन पर दिशा–निर्देश भारत सरकार से प्राप्त है एवं यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वर्णित है। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास के पत्रांक– 1-6/2012-CD.II (Pt.) दिनांक 26.09.2014 द्वारा Take Home Ration के रूप में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को Ready To Eat Micronutrient Fortified Food/Energy Dense Food की आपूर्ति अनिवार्य रूप से करने का निदेश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप निविदा दस्तावेज में राज्य सरकार के द्वारा अहर्ता पूरी करने वाले योग्य एवं Bonafide Manufacturers तथा Self Help Group, Mahila Mandals इत्यादि से ही निविदा आमंत्रित किया गया था तथा इसमें Contractors/ संवेदक की कोई भूमिका नहीं है। निविदा दस्तावेज की कंडिका 12.2 में वर्णित है कि –

	"The Bidder means an Experienced and reputed Self Help Group, Mahila Mandals, Village Community, Co-Operative Society, Sole Proprietor, Partnership Firm, Private Limited Company or Public Limited Company, registered in India and should be legally competent to enter into contract as per prevailing laws". इसी प्रकार निविदा दस्तावेज की कंडिका 12.4 में वर्णित है कि- "Contractors, traders, middlemen, distributors, dealers, non-trading companies, agents and any other individual and/or legal entity who are not primary manufacturer or producer are strictly prohibited from bidding". उक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के दिशा– निर्देश एवं प्रावधानों के अनुसार मात्र Bonafide Manufacturers के माध्यम से Ready To Eat Micronutrient Fortified Food/Energy Dense Food की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है जो प्रावधानों के अनुरूप है एवं नियमानुसार है।
2. क्या यह पाया गया है कि विगत दो वित्तीय वर्ष से झारखण्ड में पोषाहार की आपूर्ति तीन कम्पनियां क्रमशः आदित्य प्रसोर मिल., बोकारो, मे0 इंटरलिंक फूड्स प्रा0लि0 दिल्ली तथा मे0 कंटर फूड मिल, राजस्थान द्वारा अलग अलग जिलों में की जा रही है, जिसके कारण पोषाहार का मूल उद्देश्य अपने लक्ष्य से भटक गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य में Ready To Eat Micronutrient Fortified Food/Energy Dense Food की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में खुली निविदा द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, इसमें जैसा कि ऊपर बिंदु (1) में वर्णित किया गया है Bonafide Manufacturers के अतिरिक्त reputed Self Help Groups Mahila Mandal एवं Village Community के द्वारा निविदा मांगी गई थी साथ ही निविदा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नियमानुसार निर्धारित Earnest Money Deposite एवं Turnover में 75 प्रतिशत की छूट भी रखी गई थी। इसके अतिरिक्त निविदा दस्तावेज के 12.8 में निम्नवत प्रावधान रखा गया था – "It will be mandatory for successful bidder (company/firm) to gradually involve Self Help Group and train them and build their capacity so that with time SHG develop the capacity to get involved in the process fro manufacturing prescribed food items". साथ ही निविदा निष्पादन के बाद कार्य आवंटन के पूर्व चयनित आपूर्तिकर्ता के साथ सम्पादित अनुबंध के कंडिका 6(iii) एवं 10.10 में प्रावधान रखा गया है जो निम्नवत है –

	"In accordance of Hon'ble Supreme Court order related to the supply of Ready To Eat Food, if in future the Department/Director decides to allow any Self Help Group/Mahila Mandal to function in the manufacture & delivery of Ready To Eat Micronutrient Fortified Food/Energy Dense Food in any District/project/AWC then the manufacturer will have to ah do with the order and stop the supplies in the directed area as & when directed." अतः स्पष्टतः सरकार राज्य Self Help Group/Mahila Mandal की भागीदारी को लेकर गंभीर है।
3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाले फर्म/कम्पनियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए इस कार्यक्रम को समुदाय द्वारा स्वयं संचालित समूह के हवाले करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। स्पष्ट है कि झारखण्ड राज्य में Ready To Eat Micronutrient Fortified Food/Energy Dense Food की आपूर्ति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप वर्तमान में तीन आपूर्तिकर्ता जो सभी Bonafide Manufacturer हैं, के माध्यम से RTE पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। परंतु साथ ही सरकार सक्षम Self Help Groups को RTE पोषाहार के उत्पादन एवं supply chain की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है तथा इस संदर्भ में निदेशालय पत्रांक– 306 दिनांक 04.03.2015 द्वारा सभी उपायुक्तों को अपने जिलान्तर्गत reputed एवं योग्य Self Help Groups को इस निमित्त अनुशंसित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स0ल0/वि0स0प्र0 – 94/2015 468 राँची, दिनांक 11.03.15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 733 दिनांक 07–03–2015 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए0 के0 रतन)
सरकार के उप सचिव